

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।
पत्रांक— /14-1, मुरादाबाद, दिनांक 10/3/2019

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :-

Four lanning of Bijnor-(Part of NH-119) – Kotwali (End of NH-74) of NH- 709 AD in the State of uttar Pradesh package -4 (Km111.680 to Km. 133.300) regarded providing 42.58 ha. Double degraded forest land for compensatory afforestation for the purpose of diversion of forest land non forest lured purpose.

सन्दर्भ :-

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर की पत्र संख्या-6655/14-1 दिनांक 14-3-2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संन्दर्भित पत्र जो कि इस कार्यालय को सम्बोधित तथा आपको पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि बिजनौर- कोतवाली- पानीपत- खटिमा मार्ग के चौड़ीकरण हेतु एन0एच0ए0आई0 वागपत द्वारा प्रभावित संरक्षित वन के बदले दुगने अवगत वन भूमि 42.58 है0 पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु अवगत वन भूमि की माँग की गयी है, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि बिजनौर, वन प्रभाग एवं इस वृत्त के अन्तर्गत अन्य किसी भी प्रभाग में अवगत वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः तत्कम में आपसे अनुरोध है, कि प्रदेश में किसी अन्य प्रभाग जिसमें 42.50 है0 अवगत वन भूमि उपलब्ध हो को निर्देशित करने का कष्ट करें। कि वह अवगत वन भूमि चिन्हित कर उसका विवरण प्रभागीय निदेशक, बिजनौर को उपलब्ध कराये, ताकि 42.58 है0 अवगत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु योजना तैयार कर इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

भवदीय,

(आर0पी0वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक—252/

दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रभागीय निदेशक सा0 वा0 प्रभाग, बिजनौर।

2- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई बागपत।

(आर0 पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।